बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि॰ पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax : 0612-2215994

(Email=minocorpatna@gmail.com. website:www.bsmfc.org)

संख्या:- 2467 बी॰ एस॰ एम॰ एफ॰ सी॰ / पटना दिनांक: .....

स्वीकृत्यादेश

राज्य सम्पोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजनान्तर्गत चयन समिति से दिनांक 06.07.2013 को सुपौल जिला के चयनित अल्पसंख्यकों के द्वारा समर्पित त्रुटिहीन कागजात के आधार पर कुल 01 लाभुक की उनके नाम के सामने अंकित ट्रेड में 5 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर दर्शाये गए ऋण राशि की स्वीकृति दी जाती है। अतएव विभागीय पत्र संख्या 1531 दिनांक 18.05.2016 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से ऋण राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात नीचे शुद्ध भुगतेय के स्तम्भ में दर्शाये गये राशि सीधे सम्बन्धित लाभुक के बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने का आदेश दिया जाता है :-

Sl. No	Appl_Name	Bank A/c No. & Address of Applicant	Trade	Sanctioned Loan Amount	0.5% Processing Charge	Net Payable Amount
1.	A/c No-31858570372	Md Wasim Akram, S/o- Md Badrul Hasan, Vill.-Nirmali, Block-Nirmali, PS-Nirmali, PO-Nirmali, Distt.-Supaul-847452	Kirana & General Store	100000	500	99500
				100000.00	**500.00**	**99500.00**

स्वीकृत ऋण राशि से वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच क्षेत्रीय प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 समान त्रैमासिक किस्तों अर्थात 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

ह०/-
प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक:- 2467 दिनांक :- 22/8/16

प्रतिलिपि: जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सुपौल/सभी ऋणधारकों/ऋण शाखा/ऋण शाखा(कम्प्युटर सेल)/ लेखा शाखा/प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रबंध निदेशक 19

D:/NAUSHAD/Koshi/Supaul-1 SANCTIONORDER

4/8
19-08-16